

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

-7 FEB 2023

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार अमेठी

NOTARIAL NOTARIAL

Uttar Pradesh U.P. LAR PRADESH

FR 645176

(प्रारूप-ब)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थानों की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी प्रारूप-ब का प्रारूप-

इस रीता सिंह एवं राजेश्वर प्रताप सिंह अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंधक श्री वीरेंद्र नाम सिंह स्मारक शिक्षा एवं सेवा समिति पता- ग्राम व पोस्ट- बीरी,तहसील- मुसाफिरखाना जन्मपद- अमेठी सम्पत्तिका निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा वीरेंद्रनाम कालेज ऑफ फार्मसी पता- ग्राम व पोस्ट- बीरी,तहसील- मुसाफिरखाना जन्मपद- अमेठी नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम श्री वीरेंद्र नाम सिंह स्मारक शिक्षा एवं सेवा समिति पता- ग्राम व पोस्ट- बीरी,तहसील- मुसाफिरखाना जन्मपद- अमेठी में गाटा संख्या 2319,2322,2328 एवं रकबा 0.810सेठूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी बाढ़ किली भी ब्याजालय में नहीं चल रहा है,और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 2319,2322 एवं 2325 रकबा 0.810 हेठ पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने पर प्रस्तावित सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 15-10-2019 द्वारा पारित किया गया है।



5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित विद्यालय इन फर्मेसी संस्थान संवत्सन हेतु भवनों को निर्माण अनुमोदित करने के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त प्लॉ पर सीमाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फर्मेसी कार्यालय आर्क इन्डिया, नई दिल्ली के निर्देशों के अंतर्गत ही विद्यमान इन फर्मेसी संस्थान का ही संवत्सन किया जाएगा।
8. यह कि, इस संस्था ने फर्मेसी कार्यालय आर्क इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध परदापकन एवं प्रवेश प्रणाली के अनुसार ही परदापकन में परिवर्तन प्रदान किया जाएगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फर्मेसी कार्यालय आर्क इन्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद/उच्चतर उपायनक से सम्बद्ध संस्था एवं परदापकन के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/बहालविद्यालय/आईटीआई/आई आई का संवत्सन न हो पूर्व में कभी किया गया है और न हो भविष्य में कभी किया जाएगा।
10. यह कि, संस्थान के संवत्सन हेतु आवश्यक कलास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फर्मेसी कार्यालय आर्क इन्डिया, नई दिल्ली एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।
11. यह कि, संस्थान के संवत्सन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैयारी सीमाइटी/ट्रस्ट द्वारा मात्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जाएगा।
12. यह कि, स्टाफ /परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों /आदेशों का तत्कालीन पालन करना। यदि भरे संस्था में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्ध समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु भरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि भरे द्वारा ही उपरोक्त सुचना भरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दो नये जानकारी एवं अतिरिक्त/दस्तावेज फर्जी, बृहत्तरित अथवा अतिपूर्व प्राप्त करते हैं तो भरे विरुद्ध परिषद द्वारा निम्नानुसार समस्त समस्त कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी ही नये विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

Prakash
राजेश



Prakash
राजेश